न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–1, अम्बेडकरनगर।

UPAN010009452026

Bail Application/218/2026

1– जगदीश प्रसाद आयु लगभग 57 वर्ष पुत्र स्व0 राम कुबेर
2– कमलेश आयु लगभग 54 वर्ष पत्नी जगदीश प्रसाद
निवासीगण ग्राम अशरफपुर भुआ, थाना–जलालपुर, जिला–अम्बेडकरनगर।
.....प्रार्थी / अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य.....विपक्षीगण

09.03.2026

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण / अभियुक्तगण जगदीश प्रसाद व कमलेश की ओर से अपराध संख्या–38 / 2026 धारा–115(2),85,80 बी.एन.एस. व धारा–3 / 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना–जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर के संबंध में प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में जेल में है।

2. संक्षेप में अभियोग कथानक के तथ्य इस प्रकार हैं कि मेरी पुत्री अर्चना वर्मा की शादी सतीश वर्मा के साथ हिन्दू रीति रिवाज से दिनांकः 06.02.2023 को सम्पन्न हुआ था, शादी के छः माह बाद चार पहिया वाहन व दस लाख रूपये नगद के रूप में परिवार के सदस्यों ससुर जगदीश, सास कमलेश, ज्येष्ठ मनीष, जेठानी कुसुम, ये सभी लोग एक राय होकर अर्चना के पति सतीश पर दबाव बनाने लगे। दहेज में चार पहिया वाहन और दस लाख रूपये की डिमान्ड पूरी न करने पर उक्त सभी लोग लगातार एक सप्ताह से अर्चना के साथ मारपीट कर रहे थे। जिसकी सूचना अर्चना ने फोन कर मुझे बताया उसके बाद मैं बाहैसियत ससुर होने के नाते अपने दामाद सतीश को समझाया बुझाया, लेकिन उनके द्वारा यह बताया गया कि पापा आप मुझे चार पहिया वाहन और दस लाख रूपये पांच दिन के अंदर नहीं देंगे तो आपकी बेटी को मारकर फेंक देंगे। मेरे द्वारा पांच फरवरी तक समय मांगा गया था, इससे पहले आज दिनांकः 31.01.2026 को मेरे पुत्री को उक्त सभी लोग मिलकर एक राय होकर एक साजिश के तहत मारपीट कर हत्या कर दिये। मृत्यु होने पर उक्त सभी लोग घटना के समस्त साक्ष्य को मिटाने के लिए फांसी के फन्दे पर लटका दिये। जिसकी सूचना सतीश स्वयं फोन कर मुझे दिया कि हम सभी लोग मारकर अर्चना को फंदे से लटका दिये हैं, आकर बाडी को ले जाओ। उसके बाद हम लोग मौके पर आये और जाकर देखे तो मौके पर न तो फांसी पर लटकी मिली और न ही वहां बाडी ही थी। वहां पर मौजूद लोगों ने बताया कि उनकी बाडी को पुलिस वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जलालपुर ले गये है। हम लोग जलालपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहुंचे तो वहां पर मेरी पुत्री का शव मृत्यु अवस्था में मिला। जहां पर पुलिस बल भी मौजूद थी। मेरी पुत्री की मृत्यु उसके ससुराल अशरफपुर भुवा थाना जलालपुर अम्बेडकरनगर में हुई। अतः

Digitally signed by RAM BILAS SINGH
Date: 2026.03.10 12:30:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

श्रीमान् जी से निवेदन है कि उपरोक्त कारणों के आधर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक एवं वैधानिक कार्यवाही करने की कृपा करें।

3. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थनापत्र में कथन है कि, प्रार्थीगण नामित अभियुक्त हैं, उपरोक्त तथाकथित घटना से प्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध नहीं है तथा प्रार्थीगण पर गलत एवं असत्य आरोप लगाकर झूठा फंसा दिया गया है। प्रार्थीगण द्वारा दहेज मांगने का कोई प्रश्न ही नहीं है, प्रार्थीगण के छोटे पुत्र सतीश ने प्रेम विवाह किया था, प्रेम विवाह के समय प्रार्थीगण के बड़े पुत्र मनीष का विवाह भी नहीं हुआ था। प्रार्थीगण के छोटे पुत्र सतीश के प्रेम विवाह के पश्चात् बड़े पुत्र का विवाह हुआ जिसकी पत्नी बिहार सरकार में अध्यापिका है और जिससे उसका रहन सहन परिवार में सभी से उच्च कोटि का है। इस बात को लेकर प्रार्थीगण की छोटी बहू मृतका अक्सर अवसाद में रहने लगी। क्योंकि मृतका के पति सतीश दिल्ली में प्राइवेट ठेकेदार के यहां बाल पुट्टी का कार्य करता था। प्रार्थीगण एक साधारण किसान है और प्रार्थीगण का छोटा पुत्र सतीश यहां पर रहने पर प्रार्थीगण के खेती किसानी में सहयोग करने के अतिरिक्त परदेश में रोजी रोजगार करता है। प्रार्थीगण के पुत्र सतीश ने प्रेम विवाह किया था जिससे पुत्रवधू के मायके वाले संतुष्ट नहीं थे, जिसके लिए अपनी पुत्री को अक्सर कोसते रहते थे और प्रेम विवाह का उलाहना देते थे, जो प्रार्थीगण के पुत्रवधू के अवसाद का मुख्य कारण बना। प्रार्थीगण ने अपनी छोटी बहू को न तो कभी मारा पीटा और न तो दहेज के लिए प्रताड़ित किया है। प्रार्थीगण की छोटी बहू की मृत्यु प्रार्थीगण के खेत में रहने के दौरान घर पर सूनसान पाकर फांसी लगाकर खुदखुशी करने के कारण हुई है। प्रार्थीगण अपने पुत्र के साथ सायं को जैसे ही खेत से घर वापस आये घर में यह घटित घटना देखकर प्रार्थीगण के पुत्र ने इस घटना की सूचना अपने ससुराल दिया तथा प्रार्थीगण एवं सतीश अपनी पुत्रवधू की जान बचाने के लिए डाक्टर के यहां पहुॅचा जहां पर पुत्र वधू की मृत्यु हो गयी। प्रार्थीगण बहैसियतदार व्यक्ति है जो अपनी जमानत देने को तैयार है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थीगण जगदीश प्रसाद और कमलेश क्रमशः दिनांकः 02.02.2026 तथा 12.02.2026 से जिला कारागार अम्बेडकरनगर में निरूद्ध है। प्रार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः प्रार्थीगण को दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा करने की याचना की गई।

4. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत का विरोध किया गया तथा कथन किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त करने की याचना की गयी।

5. जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

6. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण पर वादी मुकदमा की पुत्री को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने व दहेज की मांग को लेकर उसकी दहेज हत्या कारित करने का आरोप लगाया है। अभियुक्तगण मृतका के सास व ससुर हैं। आक्षेपित अपराध की प्रकृति अत्यन्त गंभीर श्रेणी का है। इस स्तर पर प्रकरण के तथ्यों का सूक्ष्य व गहन विश्लेषण नहीं

किया जाना है। अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए, बिना गुण–दोष पर टिप्पणी किये, प्रार्थीगण का जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण जगदीश प्रसाद व कमलेश द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र अपराध संख्या–38/2026 अंतर्गत् धारा–85,80,115(2) बी.एन.एस. व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना–जलालपुर, जनपद अम्बेडकरनगर के प्रकरण में निरस्त किया जाता है।

दिनांकः–09.03.2026

(राम विलास सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–1,
अम्बेडकरनगर।
जे.ओ.कोड–यू.पी.6067